



2026:AHC:57111

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - सी संख्या - 10390 वर्ष 2026**

प्रेमलता और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अविनाश तिवारी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता  
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता :

---

**न्यायालय संख्या - 81**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण और राज्य-प्रतिपक्षी के विद्वान स्थायी अधिवक्तागण को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश रिट के माध्यम से प्रतिपक्षी को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता अविवाहित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। उन्हें अपने जीवन का खतरा है। इसलिए, याचिकाकर्तागण ने निजी प्रतिपक्षी से अपने जीवन की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।
4. मैंने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी है।
5. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 35171 वर्ष 2025 (आकांक्षा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य), दिनांक 17.12.2025 को दिए गए निर्णय में इसी विवाद पर विचार किया है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य आकांक्षा (पूर्व) के तथ्यों के समान हैं। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. एक बार जब कोई वयस्क व्यक्ति अपना जीवनसाथी चुन लेता है, तो किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, को आपत्ति करने या उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार, राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मानव जीवन के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे नागरिक नाबालिग हो या वयस्क, विवाहित हो या अविवाहित। केवल इस तथ्य से कि याचिकाकर्तागण ने विवाह संपन्न नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय यह मानने में संकोच नहीं करता कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मौलिक अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। पवित्र होने के नाते, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे पक्षों के बीच विवाह संपन्न हुआ हो या न हुआ हो।

7. याचिकाकर्ता, जो बालिग हैं, ने विवाह के बंधन के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया है और न्यायालयों के लिए उनके इस निर्णय पर निर्णय देना उचित नहीं है। यदि याचिकाकर्तागण ने कोई अपराध नहीं किया है, तो न्यायालय को उनकी सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं दिखता।

8. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

9. यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे और पुलिस अधिकारी यह संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि याचिकाकर्ता शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कानून के तहत मान्य अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वे वयस्क हो चुके हैं और अपनी मर्जी



से जीवन यापन कर रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि उनके खिलाफ किसी भी अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज न हो जाए। यदि उनके पास आयु संबंधी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और/या निरक्षर/अर्ध-साक्षर हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की की अस्थि-निर्माण जांच कराकर उनकी सही आयु सत्यापित कर सकता है और वह कानून के तहत अनुमत अन्य प्रक्रियाओं का भी पालन कर सकता है।

10. तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 मार्च, 2026

नितेंद्र